

LAY OUT PLAN OF KHASRA NO. 264,264/8 OF VILLAGE NANDRA KALLAN AT JODHPUR



SCALE :- 1"=50'

kh.no.264

kh.
no.
264

kh.
no.262



JDA APPROVED
KHASRA NO.
264, 264/2, 264/6

JDA APPROVED
KHASRA NO.
264, 264/2, 264/6

JDA APPROVED
KHASRA NO.
264, 264/2, 264/6

LAND USES ANALYSIS

PLOTS	AREA in Sq.yd.	AREA OF %
PLOT AREA	13849.68	58.12 %
PARK AREA	1196.19	05.02 %
M.T.S.W.D. AREA	97.22	00.41 %
ROAD AREA	8684.23	36.45 %
TOTAL SCHEME AREA	23827.32	100.00 %

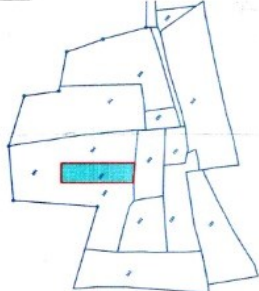
Area in Bigha = 12 Bigha, 6 Bishwa, 3 Bishwani

KEY PLAN



KHASRA MAP

NOT TO SCALE



एन्वेष्टा संख्या 28 - JDA/Dir(P)/Z-01/16/01/24/323

रैडक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
08.10.2023	जोन-1	नान्द्रा कल्ला	264, 264/8	12.06.12 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री कौमार पुत्र श्री धन्याराम, श्री कमल किशोर पुत्र श्री धन्याराम				
विषय	राजस्व ग्राम नान्द्रा कल्ला के खसरा संख्या 264, 264/8 रकबा 12.06.12 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमति मांग				
निर्णय	पत्रिका द्वारा एन्वेष्टा व पत्रावली का आकलन किया गया। पत्रिका द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित बातों के साथ ले-आउट प्लान अनुमति देने जाने का निर्णय लिया गया- - आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना से 40 फीट पूर्व मार्ग उपलब्ध हो रहा है। जिसकी सुनिश्चिता जोन उपयुक्त द्वारा की जाए। - नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की पूर्णता में विकास योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड खनन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चिता के उपरान्त रहन मुक्त किया जाएगा। - रेरा अधिनियम 2017 के तहत राजस्थान विप्लव एक्टेट रेगुलैटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय समय पर जारी आदेशों अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकारों की खसरा प्लॉटिंग योजना (Plotted Development Project) में एक्टेट जारी करने से पहले योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है एवं उक्त की सुनिश्चिता जोन उपयुक्त द्वारा की जाए। - टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवं नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए सभित के अन्य सुझावों का सम्मेलन करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जाये। - टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जाए। - योजना का क्षेत्रफल 2 हे० से कम है, अतः अधिनियम में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपयुक्त निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। - मुम्बई नगरी जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर की जाए। - उक्त प्रस्तावित भूमि पर सम्बंधित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाधि, एवं मासिकाना इक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से हुए सबंध सत्य-पत्र सित जाये कि प्रस्तावित भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही भविष्य में कोई विवाद सम्भित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जाये। - प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रस्तावित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। - राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिनियम अनुसार नियमानुसार मोबाइल टॉवर एवं टॉवर कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जाये।				

दिनांक 7/1/24 को हुए इन्वेस्ट/पॉलिटिक

का निम्नानुसार निर्णय किया गया।

14/1/24

(प्रवीण आशिषा)
निदेशक (पुनर्)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

Kumawat Survey & Planning Services
86, Laxmi Vihar, Madhuban Housing Board, Jodhpur
Reg.No.C.T.P./RAJ/NAGAR MITRA/2021/0891/070

आवेदक नमो नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

श्री कौमार पुत्र श्री धन्याराम
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

निदेशक आवेदक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

16/01/24
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर